

17/10/19

पत्रावली पेश हुई / उभय पक्ष के अधिकारिता उपस्थित है / पत्रावली वाफते जवाब के दिनांक 22/10/19 को पेश हो।

22/10/19

पत्रावली पेश हुई / उभय पक्ष के अधिकारिता उपस्थित है / पत्रावली वाफते जवाब के दिनांक 13/11/19 को पेश हो।

13/11/19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है / पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने / अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने / बार एसोसिएशन की प्रार्थना से पत्रावली वाफते... 22/11/19... दिनांक... 17/12/19... को पेश हो।

17/12/19

पत्रावली पेश हुई / उभय पक्ष के अधिकारिता उपस्थित है / पत्रावली वाफते जवाब के दिनांक 20/2/20 को पेश हो।

20/2/20

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पक्षकारी को सुना. पत्रावली का कबलाकार रीमा. न्यायालय के पक्षकारी भी कोर से बल वाड विचारणीय ही बलवाड के विचार तक दोनों पक्षों के द्वारा रीमा एवं मोने भी अथारिबि

प्र.सं 90/2016

2016/00189

कागज रखने से किसी पत्र को कोई ~~काम~~
हापति नहीं होने - यंत्रि. रेकार्ड ऑफ मोके भी
अब रखेती कनी रहने से काग पत्रकारों के
मध्य विवाद नहीं बढ़े तथा प्रसन्न पेचिड़ी से
नहीं उलझें इसी स्थिति में काग काग के निर्वाह नक
रेकार्ड एवं मोके भी अब रखेती कनी रखी जान
उचित प्रतीत होता है।

कतः प्राचीन का प्राचीन पत्र स्वीकार कर छोड़
दिया जाना है कि प्राचीन पत्र के क्रमों कागजी वार्क
जाम मन्दी के क्रमों ५०५, ५०५, ५०६, ५०९ से ५१६, ५१७ से
५२०, ५५१, ५५५, ५५६, ५५७ क्रि. १८ रकबा २००६ ई०
आदि के दोना पत्र रेकार्ड एवं मोके भी अब रखेती
काग काग के निर्वाह नक, पत्रावली केवल सुधार
होकर नक से कम है।



सुन्दरलाल लखोडा
RAs

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सयपुर (बीकानेर)

